

प्रस्तावना

जम्मू-कश्मीर एफआरबीएम अधिनियम, 2006, 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा 09 अगस्त, 2006 को पारित किया गया था।

एफआरबीएम अधिनियम के तीन मुख्य उद्देश्य :

- वित्तीय प्रबंधन में इंटर-जेनरेशनल इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए सरकार को उत्तरदायी बनाना इसका अर्थ यह है कि उधार राशियां और कुछ नहीं होती हैं बल्कि ये आस्थगित प्रधान होती हैं और अपने साधनों से अधिक सरकार का खर्च भावी पीढ़ियों के लिए ऋण का भार बन जाता है।
- “दीर्घावधि समष्टि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को उत्तरदायी बनाना क्योंकि सरकार द्वारा अंधाधुंध तरीके से उधार ली गई राशियों से निजी निवेश बढ़ जाता है अथवा मुद्रास्फीति बढ़ती है या भुगतान शेष का संकट खड़ा हो जाता है जिससे अंततः समष्टि आर्थिक अस्थिरता आती है।
- “मौद्रिक नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली वित्तीय अड़चनों” को दूर के लिए सरकार को जिम्मेदार बनाना क्योंकि घाटे में अस्थायी वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने में आरबीआई की क्षमता प्रभावित होती है क्योंकि आरबीआई भी सरकार का ऋण प्रबंधक ही है।

एफआरबीएम अधिनियम में अंतर्निहित कार्यनीति के तीन आयाम :

- राजस्व घाटे को समाप्त करने और वित्तीय घाटे को उचित सीमाओं तक लाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार की उधार राशि को सीमित करना।
- बजट डॉक्यूमेंट के साथ कुछ विवरण पेश करके बजट योजना में मध्यकालिक अवधारणा का उल्लेख करना।
- घाटे को लक्ष्यों को पूरा करने तथा वित्तीय अनुशासन में सुधार लाने में किसी दिखावे से बचने के लिए सरकार के वित्तीय संचालन में पारदर्शिता में सुधार करना।

वित्तीय जिम्मेदारी तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसरण में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ निम्नलिखित विवरण माननीय उप-राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं:

मेक्रो इकोनोमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट

मध्यावधि वित्तीय नीति का विवरण

वित्तीय नीति से संबंधित कार्य नीति का विवरण

फॉर्म I
मेक्रो इकोनोमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट

राज्य अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

पिछले वित्तीय वर्ष में चालू आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों पर अनुमानित 1,79,866 करोड़ रु. के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की तुलना में चालू वित्त वर्ष (2020-21) के लिए मौजूदा कीमतों पर जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) **2,01,054** करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया था जो 11.78 प्रतिशत विकास दर को दर्शाता है और संशोधित अनुमान 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 1,87,060 करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया है जो 4 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का वर्ष 2018-19 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 की स्थिर कीमतों पर) **1,58,688** करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया था। इस प्रकार वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 13.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के ये आंकड़े एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार वित्तीय पैरामीटरों के संदर्भ में बाजार उधार की सीमा निर्धारित करने के प्रयोजन का आधार हैं।

जम्मू-कश्मीर की वित्तीय स्थिति का सिंहावलोकन

अपने स्वयं के संसाधन :

कर निष्पादन

जम्मू-कश्मीर का कर निष्पादन निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रु. में)

| क्र. सं. | राजस्व का स्रोत | 1988-89 | 1998-99 (10 वर्ष में विकास) | 2008-09 (10 वर्ष में विकास) | 2014-15 (06 वर्ष में विकास) | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|----------|-----------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | कर राजस्व | 138 | 437 | 2683 | 6334 | 7819 | 9536 | 9826 | 9467 |
| 2. | गैर-कर राजस्व | 100 | 283 | 837 | 1978 | 4072 | 4362 | 4188 | 4260 |

कर भिन्न निष्पादन

कर भिन्न प्राप्तियों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रु. में)

| वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धि |
|-----------------------|--------|---------|
| 2008-09 | 1127 | 837 |
| 2009-10 | 1294 | 955 |
| 2010-11 | 1475 | 1093 |
| 2011-12 | 1851 | 2002 |
| 2012-13 | 2765 | 2160 |
| 2013-14 | 3321 | 2870 |
| 2014-15 | 3561 | 1978 |
| 2015-16 | 3455 | 3913 |
| 2016-17 | 4024 | 4072 |
| 2017-18 | 5389 | 4362 |
| 2018-19 | 4188 | 4188 |
| 2019-20 (Pre-Actuals) | 3432 | 4260 |

एफ-1 (जारी)

मेक्रोइकोनोमिक प्रेमवर्क स्टेटमेंट
आर्थिक निष्पादन एक नजर में

तालिका 1

सेलेक्ट मेक्रोइकोनोमिक और वित्तीय संकेतकों के रुझान

| | | एब्सोल्यूट वेल्यू | | प्रतिशत परिवर्तन | |
|-----|--|--|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | अप्रैल - रिपोर्ट अवधि (करोड़ रु. में) | | अप्रैल - रिपोर्ट अवधि | |
| | | 2019-20 (प्रि- एक्चुअल) | 2020-21 (आरई) | 2019-20 (प्रि- एक्चुअल) | 2020-21 (आरई) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | रियल सेक्टर | | | | |
| 1 | फेक्टर लागत पर जीएसडीपी | 1,79,866 | 1,87,060 | 7.57 | 4.00 |
| 2 | कृषि उत्पादन (मौजूदा मूल्य पर) | | | | |
| 3 | औद्योगिक उत्पादन (मौजूदा मूल्य पर) | | | | |
| 4 | टरटरी सेक्टर प्रोडक्शन (मौजूदा मूल्य पर) | | | | |
| | सरकारी वित्त | | | | |
| 1 | राजस्व प्राप्तियां | 52618 | 75903 | 3.03 | 44.25 |
| 2 | कर राजस्व (2.1+2.2) | 16269 | 10837 | -31.69 | -33.39 |
| 2.1 | अपना स्वयं का कर राजस्व | 9467 | 10837 | -3.65 | 14.47 |
| 2.2 | केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा | 6802 | 0 | -51.38 | -100.00 |
| 3 | कर भिन्न राजस्व (3.1+3.2) | 36350 | 61466 | 33.38 | 69.09 |
| 3.1 | राज्य का स्वयं का कर भिन्न राजस्व | 4260 | 6193 | 1.72 | 45.38 |
| 3.2 | केन्द्रीय अंतरण | 32090 | 55273 | 39.13 | 72.24 |
| 4 | जुटाए गए अतिरिक्त संसाधन (एआरएम) | 0.00 | 3600 | NA | NA |
| 5 | पूँजीगत प्राप्तियां (5+6+7)* | 12411 | 16438 | -22.13 | 32.45 |
| 6 | ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त राशि | 4 | 5 | 0.00 | 25.00 |
| 7 | अन्य प्राप्तियां/नॉन क्रियेटिंग | - | 723 | NA | NA |
| 8 | उधार तथा अन्य देयताएं | 12407 | 15710 | -5.76 | 26.62 |
| 9 | कुल प्राप्तियां (1+4) | 65029 | 92341 | -2.95 | 42.00 |
| 10 | कुल व्यय | 65029 | 92341 | -2.95 | 42.00 |
| 11 | राजस्व लेखा | 52964 | 62486 | -5.24 | 17.98 |
| 12 | (क) ब्याज का भुगतान | 5926 | 6790 | 14.56 | 14.58 |
| | (ख) सब्सिडीज | 700 | | -41.91 | -100.00 |
| | (ग) मजदूरी और वेतन/अन्य | 31179 | 28325 | -25.76 | -9.15 |
| | (घ) पेंशन भुगतान | 6999 | 8641 | -6.92 | 23.46 |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------|--------|
| 12 | पूँजीगत लेखा (सीएपीईएक्स) | 12065 | 29855 | 8.57 | 147.45 |
| | ऋण और अग्रियों का भुगतान | 54 | 112 | -21.74 | 107.41 |
| | | 2067 | 4258 | -21.47 | 106.00 |
| 13 | योजनागत व्यय** | | | | |
| 14 | राजस्व लेखा | | | | |
| 15 | पूँजीगत लेखा | | | | |
| 16 | कुल व्यय (9+13) ऋणों और अग्रियों सहित | 65029 | 92341 | -2.95 | 42.00 |
| 17 | राजस्व व्यय (10+14) | 52964 | 62486 | -5.24 | 17.98 |
| 18 | पूँजीगत व्यय (12+15) | 12065 | 29855 | 8.57 | 147.45 |
| 19 | राजस्व अधिशेष | | | | |
| 20 | वित्तीय घाटा | 10679 | 15710 | -19.72 | 47.11 |
| 21 | प्राथमिक अधिदेश/घाटा (+/-) | 4753 | 8920 | -41.53 | 87.67 |

- नोट्स
- i. यूडीएवाई के अंतर्गत उधार राशियों को वित्तीय संकेतकों की गणना के लिए हिसाब में नहीं लिया गया है
 - ii. वित्तीय संकेतों के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपनाए गए जीएसडीपी आंकड़े।
 - iii. पूँजीगत प्राप्तियां और संवितरण आरबीआई से डब्ल्यूएमए /ओडी की निवल राशि हैं।
 - iv. आरबीआई से डब्ल्यूएमए की औसत राशि 168.72 करोड़ रु. है।
 - v. आरबीआई से ओडी की औसत राशि 178.86 करोड़ रु. है।
 - vi. ओडी दिवसों की संख्या = 45
 - vii. ओडी अवसरों की संख्या = 32
- (31 जनवरी, 2021 को समाप्त अवधि तक की सूचना)**

फॉर्म एफ-2
(नियम 3 और 4 देखें)
मध्यावधि वित्तीय नीति का विवरण

क. वित्तीय संकेतक – रोलिंग टारगेट

| | पूर्व वर्ष (वाई 2) (प्रि-एक्ज्युल्स) 2019-20 | चालू वर्ष (वाई-1) (बजट अनुमान) 2020-21 लक्ष्य | चालू वर्ष (वाई-1) (संशोधित अनुमान) 2020-21 | आगामी वर्ष (वाई) (बजट अनुमान) 2021-22 | अगले दो वर्षों के लक्ष्य | |
|--|---|--|---|---|--------------------------|----------------|
| | | | | | 2022-23 | 2023-24 |
| 1. कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष/घाटा | | | | | | |
| 2. वित्तीय घाटा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में | | | | | | |
| 3. कुल बकाया देयताएं जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में | | | | | | |

नोट :- तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

| फॉर्म डी - 1 | | | |
|-----------------------|---|------------------------------|------------------|
| (नियम 7 देखें) | | | |
| सलेक्ट वित्तीय संकेतक | | | |
| | | | (प्रतिशत में) |
| क्र. सं. | मद | 2018-19 (प्रि-एक्च्युल्स) | 2019-20 (आरई) |
| 1 | सकल वित्तीय घाटा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में | | |
| 2 | वित्तीय अधिशेष सकल वित्तीय घाटे के प्रतिशत औसत के रूप में | | |
| 3 | राजस्व अधिशेष जीएसडीपी के प्रतिशत औसत के रूप में | | |
| 4 | राजस्व अधिशेष पीआरआर के प्रतिशत औसत के रूप में | | |
| 5 | कुल देयताएं- जीएसडीपी अनुपात | | |
| 6 | कुल देयताएं-कुल राजस्व प्राप्तियां | | |
| 7 | कुल देयताएं-राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां | | |
| 8 | राजस्व व्यय की तुलना में राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां | | |
| 9 | पूंजीगत परिव्यय सकल वित्तीय घाटे के प्रतिशत के रूप में | | |
| 10 | ब्याज का भुगतान राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत औसत के रूप में | | |
| 11 | वेतन व्यय राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत औसत के रूप में | | |
| 12 | पेंशन व्यय राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत औसत के रूप में | | |
| 13 | गैर-विकास व्यय कुल संवितरणों के प्रतिशत के रूप में | | |
| 14 | केन्द्र से कुल अंतरण कुल वितरणों के प्रतिशत के रूप में | | |
| 15 | कर भिन्न राजस्व टीआरआर के प्रतिशत के रूप में | | |

नोट:- तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

फॉर्म डी-2

(नियम 7 देखें)

| क. जम्मू-कश्मीर सरकार की देयताओं के घटक | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| (करोड़ रु. में) | | | | | | |
| श्रेणी | वित्तीय वर्ष के दौरान | | वित्तीय वर्ष के दौरान अदायगी/परिशोधन | | बकाया राशि (मार्च की समाप्ति पर) | |
| | 2018-19 (वास्तविक) | 2019-20 (प्रि- एक्युल्स) | 2018-19 (वास्तविक) | 2019-20 (प्रि- एक्युल्स) | 2018-19 (वास्तविक) | 2019-20 (प्रि-एक्युल्स) |
| बाजार उधार | 6684 | 7869 | 1757 | 1109 | 30947 | 34291 |
| केन्द्र से ऋण | 4 | 4 | 117 | 117 | 1292 | 1237 |
| एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिपूर्तियां | 0 | 0 | 332 | 132 | 3502 | 3370 |
| वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से सुधार | 402 | 389 | 425 | 510 | 3703 | 3574 |
| आरबीआई से डब्ल्यूएनएम (निवल) | 232 | 455 | 0 | 0 | 532 | 692 |
| लघु बचतें, भविष्यनिधि आदि (निवल) | 5288 | 1961 | 0 | 0 | 26207 | 27162 |
| आरक्षित निधि /जमा (निवल) | 877 | 1321 | 0 | 0 | 9340 | 9709 |
| अन्य देयताएं | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| यूडीएवाई ओवर बॉण्ड' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3538 | 3538 |
| कुल | 13487 | 11999 | 2631 | 1868 | 79060 | 83573 |

*यूडीएवाई ओवर बॉण्ड के अंतर्गत उधार राशियों को वित्तीय संकेतकों की गणना के लिए हिसाब में नहीं लिया गया है।

फार्म डी-2
(नियम 7 देखें)
ख. जम्मू-कश्मीर की देयताओं पर भारित औसत ब्याज दर

(प्रतिशत में)

| श्रेणी | वित्तीय वर्ष के दौरान | | बकाया राशि (मार्च की समाप्ति पर) | |
|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | 2018-19 (वास्तविक) | 2019-20 (प्रि- एक्युल्स) | 2018-19 (वास्तविक) | 2019-20 (प्रि-एक्युल्स) |
| बाजार उधार | 8.46 | 7.54 | 8.7 | 8.87 |
| केन्द्र से ऋण | 9.00 | 9.00 | 5.82 | 5.65 |
| एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां | 0.00 | 0.00 | 9.79 | 9.81 |
| वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार | 5.13 | 3.90 | 7.05 | 7.40 |
| आरबीआई से डब्ल्यूएमए/ओडी /जम्मू-कश्मीर बैंक से ओडी (मार्च 2012 को समाप्त) | 6.00 to 6.50 | 4.00 to 6.00 | 6.00 to 6.50 | 4.00 to 6.00 |
| लघु बचतें, भविष्य निधि आदि | 7.6 to 8.00 | 7.9 to 8.0 | 7.6 to 8.00 | 7.9 to 8.0 |
| आरक्षित निधि/जमाएं | 6.00 to 6.50 | 4.00 to 6.00 | 6.00 to 6.50 | 4.00 to 6.00 |
| अन्य देयताएं/यूडीएवाई | 0.00 | 0.00 | 7.99 | 7.99 |
| कुल (भारित औसत ब्याज दर) | | | 6.67 | 7.09 |

फॉर्म डी-3
नियम 7 देखें
समेकित निक्षेप फंड

(करोड़ रु. में)

| पूर्व वर्ष 2019- 20 के प्रारंभ में शेष | पूर्व वर्ष (2019- 20) के दौरान वृद्धि | पूर्व वर्ष (2019 -20) के दौरान आहर ण | पूर्व वर्ष के अंत में /चालू वर्ष के प्रारंभ में शेष | एसएल आर उधार का स्टॉक (%) | चालू वर्ष (2020- 21) के दौरान वृद्धि | चालू वर्ष (2020- 21) के दौरान आहरण | चालू वर्ष के अंत में /वार्षिक वर्ष (2021-22) के प्रारंभ में शेष | 8/एसएल आर सुधार का स्टॉक (%) |
|--|---|---|---|--|--|--|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 316.60 | 39.27 | 0.00 | 355.87 | 1.04 | 55.63 | 0.00 | 411.50 | 0.91 |

फॉर्म डी-4
सरकार द्वारा दी गई गारंटियां
सेक्टर-वार गारंटी का विवरण

(रु. लाख में)

| सेक्टर (गारंटियों की संख्या कोष्ठक में दी गई है) | अधिकतम राशि की गारंटी | वर्ष 2020-21 के प्रारंभ में शेष | वर्ष 2020-21 के दौरान वृद्धि | विलोपन (2020-21) के दौरान मांगे गए से भिन्न | वर्ष 2020-21 के दौरान मांगे गए | | वर्ष 2020-21 के अंत में शेष | गारंटी कमीशन या शुल्क | | अन्य महत्वपूर्ण विवरण |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | डिस्चार्ज किए गए | डिस्चार्ज न किए गए | | प्राप्ति योग्य | प्राप्त की गई | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| विद्युत (5) | 470020 | 470020 | 1102500 | - | - | - | 1572520 | - | - | - |
| सहकारिता (5) | 19121 (प्लस ब्याज) | 22778 | - | - | - | - | 22778 | - | - | - |
| सड़क एवं परिवहन (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| राज्य वित्तीय निगम (1) | 700 (प्लस ब्याज) | 979 | - | - | - | - | 979 | - | - | - |
| आई एंड सी विभाग (जम्मू-कश्मीर सीमेंट) (2) | 1887 | 1887 | - | - | - | - | 1887 | - | - | - |
| आई एंड सी विभाग (ईडीआई) | 7200 | 23300 | - | - | - | - | 23300 | - | - | - |
| समाज कल्याण विभाग (डब्ल्यूडीसी) (17) | 6021 | 6021 | - | - | - | - | 6021 | - | - | - |
| समाज कल्याण विभाग (एससी/एसटी/बीसी कॉर्प.) (17) | 7115 | 7115 | - | - | - | - | 7115 | - | - | - |
| आवास एवं शहरी विकास (7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| महिला विकास निगम | | 3000 | | | | | 3000 | | | |
| कुल (46) | | 535100 | 1102500 | - | - | - | 1637600 | - | - | - |

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गारंटियों को दर्शाते हैं।

फार्म डी-5
(नियम 7 देखें)
शेष जोखिम -भारित गारंटी

(करोड़ रु. में)

| भुगतान न किए जाने की संभावना | जोखिम भार (प्रतिशत) | पूर्व वर्ष और चालू वर्ष में शेष राशि | | पूर्व वर्ष और चालू वर्ष में रिस्क भारित शेष गारंटी | |
|--|---------------------|--------------------------------------|--|--|-----------|
| | | पूर्व वर्ष | चालू वर्ष | पूर्व वर्ष | चालू वर्ष |
| प्रत्यक्ष देयताएं | | - | - | - | - |
| उच्च जोखिम | | - | - | - | - |
| मीडियम जोखिम | | | | | |
| कम जोखिम | | - | सभी गारंटियों पर जोखिम भार का अपेक्षित (प्रतिशत) | | |
| बहुत कम जोखिम | | - | - | - | - |
| कुल बकाया | - | - | - | - | - |
| नोट: विभिन्न जोखिम श्रेणियों के लिए रिस्क भार को पूर्व विनिर्देशित किया गया है | | | | | |

फार्म डी-6

गारंटी रिडैम्सन फंड

(करोड़ रु. में)

| पूर्व वर्ष के अंत में आउट स्टैंडिंग इन्वोक गारंटी | पूर्व वर्ष (2019-20) के अंत में जीआरएफ में बकाया राशि | चालू वर्ष (2020-21) के दौरान संभावित रूप से इन्वोक की जाने वाली राशि की गारंटी | चालू वर्ष (2020-21) के दौरान जीआरएफ में वृद्धि | चालू वर्ष (2020-21) के दौरान जीआरएफ से आहरण | चालू वर्ष (2020-21) के अंत में जीआरएफ में बकाया राशि |
|---|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| शून्य | 11.20 | शून्य | 1.00 | 0.00 | 12.20 |

| फॉर्म डी -7 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (नियम 7 देखें) | | | | |
| परिसंपत्तियों का विवरण | | | | |
| | रिपोर्ट अवधि अर्थात् 2019-20 के प्रारंभ में परिसंपत्तियां | रिपोर्टाधीन वर्ष अर्थात् 2019-20 के दौरान अर्जित की गई परिसंपत्तियां | | रिपोर्टाधीन वर्ष अर्थात् 2019-20 के अंत में संचयी कुल परिसंपत्तियां |
| | | संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा रिकंसीलेशन के बाद समायोजन किए जाने पर* | 2019-20 के दौरान अर्जित की गई परिसंपत्तियां | |
| | अंकित मूल्य (करोड़ रु. में) | अंकित मूल्य (करोड़ रु. में) | अंकित मूल्य (करोड़ रु. में) | अंकित मूल्य (करोड़ रु. में) |
| अनंतिम आंकड़ों का वित्त लेखे से मिलान किया जाना है | | | | |
| वित्तीय परिसंपत्तियां | | | | |
| ऋण एवं अग्रिम | 1725.77 | | 14.66 | 1740.43 |
| स्थानीय निकायों को ऋण | 14.75 | | (-) 0.10 | 14.65 |
| कंपनियों को ऋण | 1125.32 | | 5.56 | 1130.88 |
| अन्य को ऋण | 585.70 | | 9.20 | 594.90 |
| इक्विटी निवेश | 689.42 | | 2738.61 | 3428.03 |
| शेयर | | | | |
| बोनस शेयर | | | | |
| भारत सरकार की डेटेड प्रतिभूतियों /ट्रेजरी बिलों में निवेश | | | | |
| 14 दिवसीय इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिलों में निवेश | | | | |
| अन्य वित्तीय निवेश (कृपया विनिर्दिष्ट करें) | | | | |
| कुल | 2415.19 | | 2753.47 | 5168.46 |
| भौतिक परिसंपत्तियां : | | | | |
| भूमि | 230692.31 | 6672.579 | 4199.6 | 241564.489 |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| भवन –कार्यालय/रिहायशी | 60544.4088 | 2948.684 | 589.4564 | 64082.5492 |
| सड़क | 33595.29 | -1093.11 | 4908.92 | 37411.1 |
| पुल | 3192.48 | -386.605 | 708.34 | 3514.215 |
| सिंचाई परियोजनाएं | 7114.44 | -1103.36 | 146.29 | 6157.37 |
| विद्युत परियोजनाएं | 2302.978 | -2180.54 | 0.66 | 123.098 |
| अन्य पूंजीगत परियोजनाएं | 20540.706 | 2268.7773 | 447.94 | 23257.4233 |
| मशीन एवं उपकरण | 8120.9648 | -211.1 | 353.9759 | 8263.8407 |
| कार्यालय उपकरण | 1163.6556 | -6.5834 | 45.6743 | 1202.7465 |
| वाहन | 2048.5994 | -132.4432 | 60.5326 | 1976.6888 |
| विविध | 1056.1626 | -6.9077 | 1.312 | 1050.5669 |
| कुल | 370371.9952 | 6769.391 | 11462.7012 | 388604.0874 |

नोट:-* आंकड़ों का मिलान किया जाना है

फॉर्म डी - 8
(नियम 7 देखें)

गणना किए गए किंतु प्राप्त न किए गए कर राजस्व
(मूल कर)
(रिपोर्टाधीन वर्ष के अंत)

| मुख्य शीर्ष | विवरण | विवादित राशि (करोड़ रु. में) | | | | | वेबाक राशि (करोड़ रु. में) | | | | | कुल योग |
|-------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------|---------|
| | | एक वर्ष से अधिक किंतु दो वर्ष से कम | दो वर्ष से अधिक किंतु पांच वर्ष से कम | पांच वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से कम | दस वर्ष से अधिक | कुल | एक वर्ष से अधिक किंतु दो वर्ष से कम | दो वर्ष से अधिक किंतु पांच वर्ष से कम | पांच वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से कम | दस वर्ष से अधिक | कुल | |
| | आय और व्यय पर कर | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | कृषि आय कर | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | संपत्ति और पूंजीगत सेवाओं पर कर | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | भू-राजस्व | | | | | 0 | 1.27 | 1.29 | 1.43 | 2.25 | 6.24 | 6.24 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क | 0.13 | 0.21 | 0.73 | 36.39 | 37.46 | 1.95 | 1.44 | 1.63 | 1.75 | 6.77 | 44.23 |
| शहरी अचल संपत्ति कर | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| यात्री कर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| वस्तुओं और सेवाओं पर कर | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| बिक्री कर/मूल्यवर्धित कर | 6.28 | 40.54 | 13.44 | 77.7 | 137.96 | 167.28 | 195.26 | 207.7 | 255.39 | 825.63 | 963.59 |
| केन्द्रीय बिक्री कर | 17.45 | 8.61 | 3.84 | 0.08 | 29.98 | 29.5 | 2.52 | 1.27 | 0.79 | 34.08 | 64.06 |
| मोटर स्प्रीट और स्नेहकों पर बिक्री कर | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.11 |
| बिक्री कर पर सरचार्ज | 0.12 | 16.07 | 4.79 | 0.78 | 21.76 | 18.33 | 3.04 | 4.15 | 2.9 | 28.42 | 50.18 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 0 | 0 | 13.54 | 3.02 | 16.56 | 0.91 | 0 | 0 | 1.54 | 2.45 | 19.01 |
| वाहनों पर कर | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| अन्य कर | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.24 | 0 | 8.74 | 4.86 | 25.4 | 39 | 39.24 |
| पथ कर | 0.03 | 0 | 0 | 27.88 | 27.91 | 0 | 0.25 | 0.08 | 0 | 0.33 | 28.24 |
| मनोरंजन कर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| कुल | 24.02 | 65.47 | 36.47 | 146 | 271.96 | 219.24 | 212.54 | 221.12 | 290.25 | 943.15 | 1215.11 |

फार्म डी-9

(नियम 7 देखें)

विविध देयताओं/बकाया राशियों का विवरण: बकाया

(करोड़ रु. में)

| | बकाया राशि |
|--|------------------|
| मुख्य निर्माण कार्य और संविदाएं | 3142.7118 |
| भूमि अधिग्रहण प्रभारों के संबंध में प्रतिबद्ध देयताएं | 2544.7534 |
| निर्माण कार्यों और आपूर्तियों के अदा न किए गए बिलों के संबंध में दावे | 3590.295 |
| *बकाया राशि चालू वर्ष से पूर्व वर्ष के लिए मार्च के अंत की स्थिति के संबंध में है। | |

फार्म डी - 10

(नियम 7 देखें)
कर्मचारियों की संख्या तथा संबंधित वेतन व्यय का विवरण *

भाग - I
सरकारी विभागों में कर्मचारी

| मांग संख्या और विवरण | चालू वर्ष (2020-21) में कर्मचारियों की संख्या | | | वेतन व्यय (करोड़ रु. में) | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | एनपी | एसपी/ सीएसएस | कुल | पूर्व वर्ष (2019-20)के वास्तविक आंकड़े | चालू वर्ष (2020-21) बजट अनुमान | चालू वर्ष (2020-21) संशोधित अनुमान | अगले वर्ष के बजट अनुमान (2021-22) |
| सभी मांगे | 473660 | 9720 | 483380 | 23793 | 30573 | 28325 | 30131 |

नोट:- *प्रशासनिक विभागों द्वारा महैया कराए गए डाटा के आधार पर

(नियम 7 देखें)
भाग-II
पब्लिक सेक्टर में कर्मचारी

(करोड़ रु. में)

| पब्लिक सेक्टर यूनिट का नाम | नियंत्रक प्रशासनिक विभाग का नाम | चालू वर्ष (2020-21) कर्मचारियों की संख्या | वेतन व्यय | | | |
|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | वास्तविक (2019-20) | बजट अनुमान (2020-21) | संशोधित अनुमान (2020-21) | बजट अनुमान (2021-22) |
| जेकेएचपीएचसी | बागवानी | 59 | 7.11 | 6.68 | 6.66 | 9.81 |
| जेकेएआईडीसीएल | कृषि उत्पादन | 65 | 6.2 | 6.72 | 6.72 | 7.38 |
| जम्मू-कश्मीर महिला विकास निगम | समाज कल्याण | 40 | 3.19 | 3.14 | 3.19 | 3.27 |
| जम्मू-कश्मीर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग विकास निगम | | 105 | 9.04 | 11.14 | 11.14 | 10.51 |
| उप-योग (समाज कल्याण) :- | | 145 | 12.23 | 14.28 | 14.33 | 13.78 |
| जे एंड के वीआईबी | उद्योग और वाणिज्यिक | 342 | 24.06 | 39.96 | 36.77 | 37.82 |
| जे एंड के सिडको | | 367 | 28.05 | 27.12 | 27.12 | 27.12 |
| जम्मू-कश्मीर एसआईसीओपी | | 261 | 29.11 | 33.1 | 32 | 31 |
| जम्मू-कश्मीर हथकरघा विकास निगम | | 181 | 10.51 | 12.7 | 11.9 | 11.2 |
| जम्मू-कश्मीर सीमेंट लिमिटेड | | 437 | 27.42 | 28.3 | 24.6 | 33.63 |
| जम्मू-कश्मीर हैंडीक्राफ्ट (एस एंड ई) (कारिपोरेशन) | | 165 | 10.33 | 9.28 | 9.29 | 9.12 |
| जम्मू-कश्मीर उद्योग लिमिटेड | | 318 | 22.72 | 23 | 24.9 | 26.9 |
| जम्मू-कश्मीर खनिज लिमिटेड | | 742 | 17.33 | 20.28 | 20.89 | 24.02 |
| उप-योग (उद्योग एवं वाणिज्य) :- | | 2813 | 169.53 | 193.74 | 187.47 | 200.81 |
| जम्मू-कश्मीर पुलिस आवास निगम | गृह | 46 | 5.8 | 6.33 | 6.33 | 6.92 |
| जेके टीडीसी कारिपोरेशन | पर्यटन | 564 | 35.12 | 35 | 35 | 36.2 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| जेके स्टेट केबल कॉरपोरेशन | | 119 | 8.82 | 9.3 | 9.3 | 10.23 |
| उप-योग (पर्यटन) :- | | 683 | 43.94 | 44.3 | 44.3 | 46.43 |
| कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | विद्युत विकास | 11511 | 438.34 | 466.16 | 480.33 | 524.69 |
| जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | | 7000 | 301.1 | 374.43 | 364.04 | 395.05 |
| जम्मू-कश्मीर विद्युत ट्रांसमिशन निगम लिमिटेड | | 2301 | 123.93 | 139.14 | 149.06 | 164.39 |
| जम्मू-कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड | | 186 | 15.25 | 10.85 | 9.45 | 11.81 |
| जम्मू-कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड | | 2611 | 173.1 | 271.62 | 144.5 | 249.2 |
| उप-योग (विद्युत विकास) :- | | 23609 | 1051.72 | 1262.2 | 1147.38 | 1345.14 |
| जम्मू-कश्मीर वन विकास निगम | वन | 2309 | 130.11 | 143.65 | 137.48 | 142.78 |
| जम्मू-कश्मीर आरटीसी | परिवहन | 2017 | 73.16 | 112.98 | 133.44 | 108.12 |
| जम्मू-कश्मीर राज्य वित्तीय निगम | वित्त | 150 | 7.56 | 8.41 | 9.43 | 11.5 |
| जम्मू-कश्मीर आवास बोर्ड | आवास एवं शहरी विकास | 212 | 12.96 | 16.59 | 17.95 | 18.3 |
| श्रीनगर विकास प्राधिकरण | | 363 | 26.1 | 29.22 | 26.91 | 28.71 |
| जम्मू विकास प्राधिकरण | | 223 | 1584.52 | 19.88 | 18.99 | 19.04 |
| उप-योग(आवास एवं शहरी विकास):- | | 798 | 1623.58 | 65.69 | 63.85 | 66.05 |
| जम्मू-कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा | 24 | 2.37 | 2.85 | 2.6 | 2.67 |
| जम्मू-कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड | लोक निर्माण कार्य (आरएंडबी) विभाग | 907 | 71.79 | 63.88 | 65.72 | 72.2 |
| कुल योग :- | | 33625 | 3205.1 | 1931.71 | 1825.71 | 2033.59 |

फार्म डी-10
(नियम 7 देखें)
भाग-III

क. स्थानीय निकायों से भिन्न सहायता प्राप्त संस्थाओं का विवरण

(करोड़ रु. में)

| सहायता प्राप्त संस्था का नाम | प्रशासनिक विभाग का नाम | कर्मचारियों की संख्या | पूर्व वर्ष (2019-20) के वास्तविक आंकड़े | बजट अनुमान (2020-21) | संशोधित अनुमान (2020-21) | बजट अनुमान (2021-22) |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------|------------------------|
| आईएमपीए | सामान्य प्रशासन विभाग | 222 | 14.02 | 12.83 | 17.38 | 16.06 |
| सहकारी समिति (808) | सहकारिता विभाग | 1000 | 3 | 7 | 7 | 4.5 |
| ईडीआई | उद्योग एवं वाणिज्य | 165 | 12.3 | 16.84 | 14.72 | 15.89 |
| एमएमडब्ल्यूआई | समाज कल्याण विभाग | 27 | 2.2 | 1.27 | 1.4 | 1.33 |
| आरयूएसए | उच्चतर शिक्षा विभाग | 43 | 1.64 | 3.31 | 1.85 | 3.52 |
| केयू | | 2499 | 126 | 250 | 307.8 | 278.11 |
| जेयू | | 1422 | 185 | 203.5 | 203.5 | 223.85 |
| आईयूएसटी | | 785 | 25 | 27 | 34.8 | 32.4 |
| बीजीएसबीयू | | 961 | 17.05 | 35.81 | 21.57 | 23.52 |
| एसएमवीडीयू | | 411 | 5 | 7 | 7.7 | 8.4 |
| सीयू | | 131 | 7.65 | 42.07 | 10.47 | 12.29 |
| एससके | | 10 | 0.41 | 2 | 0.9 | 4.59 |
| एसएजे | | 10 | 0.69 | 1.51 | 0.87 | 1.52 |
| ओपीएसी | | 80 | 0.68 | 0.8 | 1.17 | 1.2 |
| आईसीएससी | | 176 | 28.88 | 26.45 | 26.86 | 29.55 |
| जीएमसीएनएमजे | | 122 | 16.8 | 10 | 10.92 | 13.34 |
| वीबीडब्ल्यूसी | | 82 | 17.71 | 8.97 | 5.27 | 10.77 |
| जीएमसीएमजे | | 4 | 6.03 | 1.65 | 1.55 | 1.16 |
| जेकेआईएमएस | | 25 | 0 | 0 | 1.22 | 2.75 |

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| कुल :- | | 6761 | 438.54 | 620.07 | 636.45 | 646.97 |
| टीडीएस (25) | पर्यटन | 641 | 70.55 | 116.67 | 86.6 | 100.86 |
| ईआरए/जेटीएफआरपी | पीडी एंड एमडी | 46 | 2.28 | 3.33 | 5.73 | 7.52 |
| एएसीएंड एल | संस्कृति | 159 | 21.78 | 29.91 | 29.91 | 29.91 |
| जेएकेईजीए | सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | 13 | 0.94 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| खेल परिषद | युवा सेवा एवं खेल | 540 | 22.09 | 51 | 54 | 65 |
| जे एंड के बीओटीई | कौशल विकास | 21 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.82 |
| एसकेयूएसटी | कृषि उत्पादन | 2668 | 384.39 | 411.23 | 397.77 | 432.39 |
| कुल :- | | 12263 | 972.59 | 1273.34 | 1254.15 | 1323.69 |

फॉर्म डी-10
(नियम 7 देखें)

भाग-III

ख.सहायता प्राप्त संस्थाओं स्थानीय निकायों का विवरण

(करोड़ रु. में)

| सहायता प्राप्त संस्था का नाम | नियंत्रक प्रशासनिक विभाग का नाम | कर्मचारियों की संख्या | पूर्व वर्ष (2019-20) के वास्तविक आंकड़े | बजट अनुमान 2020-21 | संशोधित अनुमान 2020-21 | बजट अनुमान (2021-22) |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------------|----------------------|
| श्रीनगर नगर निगम | आवास एवं शहरी विकास | 2929 | 147.59 | 143.77 | 194.85 | 200.83 |
| जम्मू नगर निगम | | 2623 | 71.92 | 93.7 | 98.62 | 114.81 |
| निदेशक शहरी स्थानीय निकाय कश्मीर | | 3564 | 136.53 | 193.91 | 179.49 | 185.92 |
| निदेशक शहरी स्थानीय निकाय जम्मू | | 2677 | 87.2 | 163.44 | 115.68 | 143.9 |
| एलएडब्ल्यूडीए | | 238 | 17.28 | 23.17 | 25.44 | 86.14 |
| एनयूएलएम (एसयूडीए/डीयूडीएस) | | 199 | 8.9 | 9.36 | 10.57 | 11.3 |
| केडीए (यूडी) | | 13 | 0.44 | 0.59 | 0.67 | 0.83 |
| बिल्डिंग सेंटर | | 17 | 1.02 | 0.27 | 0.99 | 1.37 |
| कुल : | | 12260 | 470.88 | 628.21 | 626.31 | 745.1 |